CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

The present Sugar Policy resulting in the decline of Sugar production in the country

MR. CHAIRMAN: Now we take up Calling Attention. Shri Virendra Verma, not here. Shri Hukmdeo Narayan Yadav, not here. Shri Hashmi, not here. Shri Dipen Ghosh, not here. Shri Mohanarangam, not here. There is nobody to put it; we will take special mentions. When the Members give their names, they will have to be present.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): Shri Dipen Ghosh has come.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): I think Mr. Suraj Prasad is doing it.

MR. CHAIRMAN: Anyway, this time I will allow.

SHRI SURAJ PRASAD (Bihar): Sir, I call the attention of the Minister of Food and Civil Supplies to the present sugar policy resulting in the decline of sugar production in the country and the action taken by Government in the matter.

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): Sir, I thank the Hon. Members for giving me this opportunity to clarify various aspects of present sugar policy.

2. While sharing the concern of the Hon'ble Members on account of certain problems that have arisen in recent months due to rise in sugar prices, I may inform the House that this difficulty has not arisen due to any defective sugar policy. As I have recently mentioned in the House in reply to a Starred Question answered on 26th July, 1985 the present policy of partial control with dual pricing mechanism which the Government have been follwing for the last several years has been under review from time to time and even for the current sugar year 1984-85, this policy was again reviewed and it was decided to continue it for the current sugar year.

3. The difficulty during the current year has arisen on account of a substantial decline in the production of sugar during the two successive years 1983-84 and 1984-85 when the total sugar production declined to 59.16 lakh tonnes and about 61 lakh tonnes respectively as against the record production of about 84 and 82 lakh tonnes in the previous two sugar years of 1981-82 and 1982-83. This decline in production, which was caused to a large extent by natural factors, coupled with substantial increase in internal consumption of sugar from 1981-82 onwards has considerably reduced the availability of indigenous sugar. In order to meet the situation, the Government decided to import about 10 lakh tonnes of sugar and arrange its distribution at prices below Rs. 5.80 per kg. through State Government agencies and also its sale to licensed dealers by auction/tender through the Food Corporation of India. In the initial stages when the procedure for distribution of imported sugar was evolved in May, 1985, the State Governments and the Food Corporation of India took some time to finalise the modalities/arrangements and there was some delay in imported sugar actually reaching the consumers. With the speeding up of lifting of imported sugar by the State Governments and its sale through auction/tender by Food Corporation of India, the sugar availability in the open market has already improved and the prices are showing a downward trend. However, Government feel that the sugar mills in all sectors whether private, public or cooperative have necessarily to adhere to the discipline of rules and regulations and have to come forward positively to help in the maintenance of prices at reasonable levels. Similarly, it is equally

important that the traders realise their social responsibility and do not push up the prices through speculative practices. Government has already taken a number of steps to check malpractices like speculative hoarding and other such anti-social activities of traders. The action of the Government is bearing fruit and the Hon'ble Members will agree that there has been a significant decline in the open market prices of sugar in the last few days.

4. I may remind the Hon'ble Members that the present difficulty in regard to sugar has arisen mainly from lower availability as a result of decline in production of sugarcane and sugar. Necessary steps are being taken to increase the production of sugar in the country and augment its availability by importing sugar from abroad. While Government is fully alive to the need to evolve a long-term sugar policy so as to tackle the various problems created by wide fluctuations in respect of production, consumption and prices of sugar from year to year, the present availability position is such as not to warrant any major change in policy.

श्री सूरज प्रसाद : सरकार चीनी के सम्बन्ध में या शुगरकेन के सम्बन्ध में जो नीतियां अभी तक पालन करती आ रही है उसी का यह फल है कि आज देश के अन्दर चीनी उद्योग में एक भारी संकट पैदा हो गया है । 1981–82 में देश के अन्दर 84 लाख टन चीनी पैदा होती थी वहां आज 61 लाख टन पैदा हो गयी है । गन्ने का उत्पादन जो 1981–82 में 185 मीट्रिक टन था वह घट कर 175 मीट्रिक टन हो गया है । भारत शुगर का निर्यात करने वाला एक देश था । सरकार की गलत नीतियों के कारण भारत अब शुगर आयात करने वाला एक देश बन गया है । साढ़े सात लाख टन चीनी का निर्यात होता था वहां अब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हम 10 लाख टन चीनी का आयात करते हैं । इसका कारण यह है कि शुगर के प्रोडक्शन में देश के अन्दर कमी आई है और सरकार चीनी के मिल-मालिक, जो आज प्रोफिटियरिंग करते हैं, उनको रोकने में असमर्थ है । इसलिये आज बाजार के अन्दर चीनी 9 रुपये किलो तक बिक रही है और सरकार उसको रोकने में असमर्थ है ।

ऐसी स्थिति में शुगरकेन में जो संकट है, उसका प्रधान कारण क्या है ? सरकार ने इसे बताने में अपनी असमर्थता जाहिर की है । रिपोर्ट में इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है । मेरी समझ यह है कि गन्ने के क्षेत्र में जो संकट है उसका प्रधान कारण यह है कि सरकार ने किसानों को गन्ने का लाभप्रद कीमत नहीं दी है । सन् 1981-82 में सरकार ने किसानों को गन्ने की कीमत साढ़े 12 और साढ़े 13 रुपये दी । बहुत से राज्यों ने सन् 1982–83 और 1983–84 में गन्ने की कीमतों में बहुत ह्रास हुआ सन् 1981–82 में और उसके पश्चात् कृषि विभाग की एक साल की जो रिपोर्ट है, सन् 1981–82 और 1982–83 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के अन्दर जब गन्ने की कीमत साढ़े 21 रु० थी तो उसको सरकार ने साढ़े 20 रु० घटाकर कर दिया । महाराष्ट्र में 17 रु० से घटाकर 15 रु० किया । राजस्थान में 25 रु० से घटाकर 24 रु० किया, गुजरात में साढ़े 21 रु० से घटाकर साढ़े 20 रु० किया। आन्ध्र प्रदेश में साढ़े 22 रु० से घटाकर 19 रु० किया । जहां सरकार को गन्ना किसानों को लाभप्रद कीमत देनी चाहिए थी, सरकार किसानों को वह लाभप्रद कीमत देने में असफल रही है । सरकार की नीति से ऐसा लगता है कि चीनी मिल-मालिकों का समर्थन इसमें है । दूसरी बात यह है कि चीनी के उत्पादन में, शुगरकेन के उत्पादन में जो कमी आई है, उसका कारण यह है कि किसानों को जो गन्ने का पैसा दिया जाना चाहिए वह भी नहीं दिया गया है । किसानों को उनके गन्ने का उचित मूल्य दिलाने की सरकार की जवाबदेही है । कृषि मंत्री जी ने कबूल किया है कि किसानों की कीमत का मिल-मालिकों के पास जो बकाया है वह कई करोड़ रुपयों का है । यू० पी० और बिहार के बारे में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक यू० पी० में 50 करोड़ और बिहार में 23 या 24 करोड़ रुपये किसानों के बकाया हैं । सरकार किसानों को यह पैसा दिलाने में असफल रही है । इसका परिणाम यह

[श्री सूरज प्रसाद]

हुआ है कि किसानों ने गन्ने की खेती करना बंद कर दिया है और वे दूसरी चीजों का उत्पादन करने लगे हैं। तीसरी चीज जिसके कारण उन्ने के उत्पादन में कमी आई है वह यह है कि चीनी की रिकवरी कम होती है। हमारे देश में 336 या 337 शुगर मिलें हैं। इनमें से 36 प्रतिशत मिलें ऐसी हैं हैं जो 40 वर्ष पुरानी हैं। यू0 पी0 की 70 प्रतिशत मिलें ऐसी हैं जो 45 वर्ष पुरानी हैं। सरकार इन मिलों का मोडर्नाइजेशन करने में असफल रही है। यही कारण है कि चीनी की रिकवरी हमेशा कम आ रही है। इसके कारण किसानों को लाभप्रद कीमत नहीं मिल पाती है। इसके अलावा गन्ने की खेती कम होने का कारण यह भी है कि नेशनल इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक फाइनेन्सस एण्ड पालिसी की रिपोर्ट है, जो उन्होंने काले धन के बारे में प्रकाशित की है, उसकी एक दो बातें मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने इस बात को नोट किया है कि वेमेन्ट में नुकसान होता है। उनका गन्ना कम तोला जाता है। इसके अलावा पैमेंट भी ठीक नहीं की जाती है। किसान जो भी चीजें पैदा करता है उसकी कीमत उसको नहीं मिलती है। इसलिए किसान ने सोचा कि अब दूसरी चीजे पैदा की जाय मैं समझता हूं कि इन पांच बातों के कारण गन्ने की पैदावार में कमी आई है। एक कारण यह भी है कि सन् 1981-82 में जब हमारे वर्तमान मंत्री जी कृषि मंत्री थे तो उस समय 85 लाख टन चीनी की पैदावार हुई थी। उस समय मंत्री जी भाषण कर रहे थे क्योंकि 85 लाख टन चीनी की पैदावार हो गई इसलिये उनके सामने समस्या यह है कि चीनी की खपत कैसे होगी। वे आम जनता के बीच में इसलिये भाषण करते थे कि ताकि किसान गन्ने की खेती कम करे और वह दलहन और तिलहन की खेती करे। इस कारण से किसानों ने गन्ने की पैदावार में कमी की। महोदय, अंत में मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि किसान को अधिक कीमत मिलती है खण्डसारी और गुड़ से। इसलिये किसानों ने मिल मालिकों को गन्ना देना कम कर दिया है और खण्डसारी और गुड़ बनाने वाले जो कोल्हू होते हैं उनको उन्होंने बेचना सही समझा है। इन कारणों से देश के अंदर चीनी की पैदावार में कमी आई है। गन्ने की पैदावार कम होने का कारण यह है कि किसान को उचित कीमत न मिलना तथा मिल मालिकों के पास उनका बकाया रहना। दूसरी बात यह है कि मिलों का पुराना होना। इन तमाम कारणों से गन्ने की देश में पैदावार कम हुई है। इसलिये मैं सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि ये सब कारण हैं जिनसे गन्ने की पैदावार कम हुई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गन्ने के सवाल को देश में हल करना चाहती है और देश की चीनी की समस्या को हल करना चाहती है। आज देश में चीनी के बारे में जो कठिनाई प्रकट हुई है उस को सरकार अगर हल करना चाहती है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार गन्ने की कीमत इस साल 30 रूपये क्विंटल निर्धारित करेगी। दूसरी बात, किसानों का करोड़ों रुपया हर साल मिल-मालिकों के पास बाकी रह जाता है, तो क्या सरकार गन्ने की कीमत जो मिलमालिकों के यहां बाकी रह जाती है उसका सूद समेतभुगतान करेगी तीसरी बात यह है कि चीनी मिल देश के अंदर पुरानी पड़ गई है, उनके आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है। चौथी बात यह है कि किसान जो गन्ना ले जाता है..... (समय की घंटी) एक मिनट श्रीमन। किसानों का जो शोषण होता है सरकार क्या उसको रोकेगी और चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेगी? इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, चीनी मीठा विषय है लेकिन मैं आज मिठाई जैसी बात न कहकर बहुत स्पष्ट और कड़वी बात

[उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं]

माननीय मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं। चीनी उद्योग हिन्दुस्तान का नम्बर दो बड़ा और महत्वपूर्ण उद्योग है। लाखों मजदूर परिवारों और करोड़ों किसानों परिवारों के हित इससे बंधे हैं। 1982 में जब देश में चीनी का उत्पादन बढ़ा तो 84 लाख 38 हजार टन चीनी का उत्पादन हुआ। 1982-83 में 82 लाख 32 हजार

टन हुआ । 1980–81 में 20 रुपये क्विंटल जब उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की कीमत मुकर्रर की तो गन्ना नहीं मिला तो उन्होंने गन्ने की कीमत 23 रुपये मुकर्रर की । लेकिन जब फिर भी गन्ना नहीं मिला तो 26 रुपये गन्ने की कीमत प्रति क्विंटल मुकर्रर की लेकिन तब भी गन्ना नहीं मिला । आखिर में फैक्टरियां बंद हो गई और किसानों को अधिक रुपये मिला गुड़ बनाने में और खांडसारी बनाने में, क्रेशर के जरिये बनाने में । इसलिये अपने हित में, अपनी आर्थिक दृष्टि से उन्होंने इन मिलों को गन्ना न देकर गुड़ और खांडसारी के लिए दिया । 1980–81 में जो साल उनको मिला, माननीय मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि 1980–81 में 26 लाख 67 हजार हैक्टेयर जमीन का रकबा था गन्ने का । और जब अच्छी कीमतें उसे मिलीं तो अगले वर्ष 31 लाख 93 हजार हैक्टेयर गन्ने का रकबा हो गया । गन्ने का रकबा बड़ा हो गया । गन्ने का रकबा बढ़ा तो चीनी का उत्पादन भी बढ़ा और चीनी का उत्पादन बढ़ कर के 84 लाख 38 हजार टन हो गया । इन दो वर्षों में हिन्दुस्तान संसार में नम्बर एक पर था । हमने विदेशों को चीनी का निर्यात भी किया और विदेशी मुद्रा भी कमाई । जब आपका भंडार हुआ तो यह प्रश्न पैदा हुआ कि चीनी का हम क्या करें । 10 लाख टन चीनी का आपने बफर स्टाक बनाया और उस बफर स्टाक को नवम्बर, 1984 में आपने पानी की तरह बहा दिया । ऐसा जचा कि जैसे चीनी को आपको फेंकना है । 1980–81 में चीनी की खपत 49 लाख टन थी और आज 83 लाख टन है जिसका मतलब हुआ कि 67 फीसदी आपकी खपत बढ़ी । देश में चीनी की खपत बढ़े मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है लेकिन आपको मालूम है कि पाकिस्तान में बंगलादेश में चीनी का क्या भाव है ? जो भाव आपके यहां हैं उससे डयोढ़ा, दुगुना भाव पाकिस्तान और बंगलादेश में है । पाकिस्तान नेपाल, भूटान बंगलादेश, इन देशों को आपकी चीनी का स्मगलिंग हुआ, भारी पैमाने पर स्मगलिंग हुआ । आप यह समझते रहे कि हम चीनी उपभोक्ताओं को खिला रहे हैं लेकिन आपकी चीनी का स्मगलिंग विदेशों को होता रहा, ब्लैक-मार्कीटियर और बीच के आदमी खाते रहे । उसका नतीजा यह हुआ कि जो स्टाक आपका चीनी का था वह बरबाद हो गया, वह भी नहीं रहा और साथ ही साथ गन्ना पैदा करने वाले किसान के प्रति आपका रुख अच्छा नहीं रहा, इसका नतीजा यह हुआ कि उसको अच्छी कीमत नहीं मिलीं । आप यह कहते हैं कि आप गुड़ में देते हैं, खांडसारी में देते हैं इसलिए गुड़ और खांडसारी बन्द कर दी जाए ।

गुड़ कॉटेज इंडस्ट्रीज की श्रेणी में आता है, गुड़ बनाने के जो हमारे कोल्हु हैं वे लघु उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज में आते हैं और सारे हिन्दुस्तान में यह व्यापक रूप से फैले हुए हैं । हमारे जो क्रशर है वह स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में हैं । भारत सरकार की यह व्यापक नीति है कि लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए । प्रोत्साहन दिया भी जा रहा है । मैं इसे स्वीकार करता हूं । लघु और कुटीर उद्योग में हम जो गन्ना देते हैं वह केवल इसलिए देते हैं कि इसकी कीमत ज्यादा मिलती है । मान्यवर, कीमत तो ज्यादा मिलती है उसके मुकाबले में ज्यादा रिकवरी भी मिल में है तब भी क्रशर वाले ज्यादा पैसा देते हैं क्योंकि अलाभकारी जीत का जो किसान उसको गन्ने की अच्छी कीमत मिलती है इसलिये वह गन्ना मिलों के बजाय क्रशर वालों को देता है । इसको आप कहां तक एडमिट करते हैं क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर मैं आपके सामने आंकड़े उठा कर रखूं जो आपके दिये हुये आंकड़े हैं तो अभी तक 1982–83 का 11 करोड़ रुपया मिल मालिकों पर बकाया है । 1983–84 में यह 8 करोड़ 71 लाख मिल मालिकों पर बकाया हो गया । माननीय, अब इस वर्ष का 71 करोड़ रुपया मिल मालिकों पर बकाया है । आप कृपा करके यह बता दें सौभाग्यवश प्रधानमंत्री जी यहां पर बैठे हैं हमारे वित्त मन्त्री जी भी यहां पर बैठे हैं और मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री महोदय की सहानुभूति किसानों के प्रति रही है । आप यह बताने की कृपा करें कि जिस दिन से किसानों को कानून के जरिये से बकाया पर 15 फीसदी सूद दिया जाना मंजूर हुआ है आज तक किसी एक वर्ष में 15 फीसदी छोड़ दीजिए एक फीसदी भी हिन्दुस्तान के एक

[श्री सुरज प्रसाद]

प्रदेश में किसी एक मिल ने कभी एक फीसदी भी गन्ने के बकाया पर सूद दी है। चौदह दिन के बाद उस पर इंटरेस्ट उसका ड्यू हो जाता है। 1982-83 का अभी तक नहीं हुआ ड्यू, 1983-84 का अभी तक नहीं हुआ ड्यू, 1984-85 का, मिलों की नई पिराई शुरू होने को है और उनका 88 करोड़ 71 लाख रुपया बकाया है, लेकिन आज तक सूद का एक नया पैसा आपने नहीं दिया और आपने दस लाख टन बफर-स्टाक चीनी का बनाया था, मिल-मालिकान के यहां रखा और सूद भी दिया उनको चालीस करोड़ रुपया मिल-मालिकान को दिया है आपने और बहुत सारा अभी आप पर बकाया है। चालीस करोड़ मिल-मालिकान को आप सूद दे सकते हैं और जिस गरीब किसान के लिए आपने कानून बनाया, उसको एक फीसदी भी आप सूद का नहीं देते। इससे ज्यादा अन्याय और क्या आप किसान के लिए कर सकते हैं।

फिर, आप अपनी कीमतों के पालिसी के आधार पर नहीं, आप अपनी दोषपूर्ण नीति के आधार पर नहीं, आपने विदेश से चीनी मंगाई—पिछले साल पांच लाख टन और इस साल दस लाख टन। अभी भी आपने बताया, माननीया, मेरी अकल में साफ नहीं यह बात नहीं आई

श्री जे० के० जैन (: आएगी भी नहीं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : कि दो सौ रुपये क्विंटल पर आपने चीनी मंगवाई, दो सौ रुपये क्विंटल कस्टम ड्यूटी और दूसरा और व्यय लगा लीजिए चार सौ रुपये क्विंटल खर्चा हो गया और चार सौ रुपये क्विंटल खर्चा हो जाने के बाद आप उसे बेच रहे है 5 रु० 85 पैसे पर।

वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है बीस पैसे घटा दिया, तो 5 रु० 65 पै० हो जाएगा। क्यों क्या आवश्यकता थी? जब चार रुपये क्विंटल पर आपको पड़ता है, तो 4 रु० 40 पै० लेवी पर आप उसे क्यों नहीं बांटते, क्यों नहीं देते उस कीमत पर?

हर महीने 50 हजार टन चीनी, जो आयात की हुई चीनी है, उसका आक्शन करते है। दिल्ली में 640 रुपये में उसका आक्शन हुआ है—(समय की घंटी)—गुजरात में 700 रुपये में उसका आक्शन हुआ है, इन दो जगह की मुझे जानकारी है, और भी होगी किस भाव वह बेचेंगे जिन्होंने ली है, वह साढ़े सात और आठ रुपये के ऊपर बेचेंगे।

क्या मैं आपके ऊपर यह चार्ज न लगा दूं कि आपने ब्लैक-मार्किटिंग को बढ़ावा दिया है? विदेश से 400 रुपये में चीनी आपको यहां पर पड़ी और 5 रु० 65 पै० या 5 रु० 85 पैसे पर आप चीनी बेचते हैं। वह भी कुछ अकल में आने वाली बात है; लेकिन आक्शन कर दिया, किस भाव पर उसे आक्शन किया? ब्लैक-मार्किटिंग करवाने के लिये, खुद भी ब्लैक कर रहे है और ब्लैक-मार्किटिंग करवाना भी चाहते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : उसका तरीका भी बताइये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : आप दीजियेगा 40 रु० 40 पैं० पर लेवी की तरह से.... मैं बता रहा हूं अगर आप उपभोक्ताओं के हित में काम करना चाहते है, तो उसे लेवी की दुकानों पर बेचिएगा 4 रु० 40 पै० में। तब भी आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा। (समय की घंटी)

उपसभापति : वर्मा जी, दो मिनट में आप अपना भाषण खत्म कर दीजिए, मिनिस्टर का स्टेटमेंट है

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय मैडम, मैं बैठ जाऊंगा। उनकी स्टेटमेंट दो नहीं, चाहे चार, दस मिनट करा दीजिए।

उपसभापति : नहीं दो मिनट हैं, आप दो मिनट बोलिये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शुगर एक ऐसा विषय है जिसमें हम दुनिया में नम्बर एक का स्थान रखते हैं और आज हम इम्पोर्ट कर रहे हैं शुगर को । तो इस पर मैं आपसे कुछ कहना ही चाहता था ।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह हमारी पालिसी से ही बढ़ावा मिला है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मैं आपकी पालिसी की बात भी कहूंगा और खास तौर से आपकी पालिसी से ही मुझे दुख है————अगर वित्त मंत्री जी यहां बैठे रहेंगे तो मै खास तौर से उन्हें सुना कर कहना चाहता हूं कि क्या हाल है आपके इस डिपार्टमेंट का ? इसलिए, माननीया, मैं आपकी आज्ञा से बैठता हूं और होम मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट के लिए प्रधान मंत्री जी भी बैठे हैं————बल्कि मुझे बताया था कि बारह बजे प्रधान मंत्री जी का स्टेटमेंट होगा, इसीलिए मुझे यहां आने में जरा देर हो गई । इसीलिए मेरा जांस निकल गया ।

अब पूज्य प्रधान मंत्री जी भी है, गृह मंत्री जी भी है, मैं बहुत उत्सुकता के साथ उनकी स्टेटमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूं ।

STATEMENT BY MINISTER—

The Assam Accord

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): Sir, As the House is aware the Prime Minister in his address to the Nation on the Independence Day, announced that a settlement has been reached of the issue of Assam in the early hours of 15th August. This happy accord represents the fulfilment of the assurance given by the Prime Minister in his broadcast to the Nation on 5th January, 1985 that "earnest efforts will be made to settle the foreigners' issue in Assam and that the give-and-take of the conference table can yield victories which confrontation cannot."

I now proceed to read the text of Memorandum of Settlement.

'MEMORANDUM OF SETTLEMENT'

"Government have all along been most anxious to find a satisfactory solution to the problem of foreigners in Assam. The All Assam Students Union (AASU) and the All Assam Gana Sangram Parishad (AAGSP) have also expressed their keenness to find such a solution.

2. The AASU through their Memorandum dated 2nd February, 1980 presented to the late Prime Minister Smt. Indira Gandhi, conveyed their profound sense of apprehensions regarding the continuing influx of foreign nationals into Assam and the fear about adverse effects upon the political, social, cultural and economic life of the State.

3. Being fully alive to the genuine apprehensions of the people of Assam, the then Prime Minister initiated the dialogue with the AASU/AAGSP. Subsequently, talks were held at the Prime Minister's and Home Minister's levels during the period 1980—83 .Several rounds of informal talks were held during 1984. Formal discussions were resumed in March, 1985.

4. Keeping all aspects of the problem including constitutional and legal provisions, international agreements, national commitments and humanitarian considerations, it has been decided to proceed as follows:—

Foreigners Issue

5.1. For purpose of detection and deletion of foreigners, 1-1-1966 shall be the base date and year.

5.2. All persons who came to Assam prior to 1-1-1966, including those amongst them whose names appeared on the electoral rolls used in 1967 elections, shall be regularised.

5.3. Foreigners who came to Assam after 1-1-1966 (inclusive) and upto 24th March, 1971 shall be detected in accordance with the provisions of the Foreigners Act, 1946 and the Foreigners (Tribunals) Order 1964.